प्रखंड स्तर पर आरटीएस सेवाओं की होगी जांच

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

आदेश जारी

- सभी डीएम से सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रखंडवार मांगा जांच प्रतिवेदन
- आरटीएस में शामिल सेवाएं लोगों को नहीं मिल रही समय पर

राज्य के सभी डीएम लोक सेवाओं का अधिकार (आरटीएस) अधिनियम के तहत दी जाने वाली लोक सेवाओं को सहजता से मुहैया कराएं। प्रत्येक प्रखंड में आरटीएस की सेवाओं की जांच किसी वरीय पदाधिकारी से हर महीने कराकर सभी जिलाधिकारी इसका मासिक प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग के साथ-साथ बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अपर मिशन निदेशक को भेजेंगे। बुधवार को यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव धर्मेन्द्र सिंह गंगवार ने सभी डीएम को जारी किया है।

प्रधान सचिव ने कहा है कि सभी डीएम जिला स्तर पर होने वाली बैठकों में भी इस मामले को एजेंडा के रूप में शामिल कर प्रखंडवार इसकी समीक्षा करें। आरटीएस के तहत समय पर सेवा नहीं देने वालों या सेवा मुहैया कराने में गड़बड़ी करने वाले संबंधित कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पत्र के अनुसार, बिहार में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 लागू किया गया है। इसके तहत नागरिकों को निर्धारित समय में चयनित सेवाएं बिना किसी परेशानी के पारदर्शी तरीके से प्रदान करने की गारंटी दी गई है।

परंतु हाल में कई प्रखंडों से ऐसी शिकायतें आई हैं, जिसमें नागरिकों को अधिसूचित सेवाएं देने में कठिनाई हो रही है। मसलन, काउंटर का समय से नहीं खुलना, काउंटर पर कर्मियों का मौजूद नहीं होना, आवेदन लेने से मना करना, आवेदकों से अनावश्यक कागजात की मांग करना, अवेदकों को तुरंत रसीद नहीं देना, बार-बार काउंटर से वापस करना और लोगों से प्राप्त शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करना समेत अन्य शिकायतें शामिल हैं। प्रधान सचिव ने कहा कि ऐसी शिकायतों से आरटीएस पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। सरकार ने ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया है। इन शिकायतों को दूर करने के लिए विभाग ने यह पहल की है।